भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

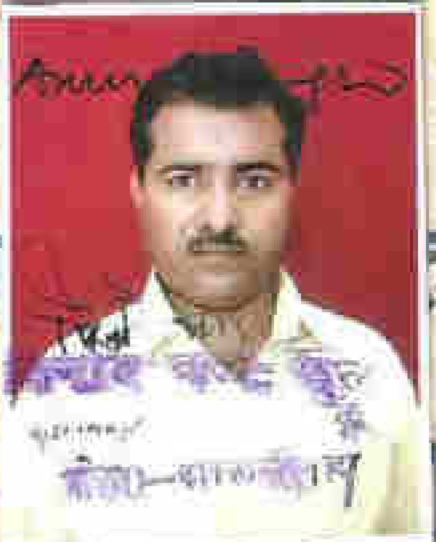

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

15 MAY 2007

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 888508

ओउम सरला बाबू एजूकेशनल ट्रस्ट–डीड

यह ट्रस्ट डीड श्री अरूण कुमार सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह निवासी संजय कालोनी, सासनी जनपद–हाथरस इस ट्रस्ट के गठनकर्ता हैं) द्वारा आज दिनांक 18/5/07 को तैयार करके प्रस्तुत की गयी है।

इस ट्रस्ट के गठनकर्ता श्री अरूण कुमार सिंह इसका निर्माण इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि शैक्षिक एवं सामाजिक उत्थान एवं विकास के क्षेत्र में इस ट्रस्ट के माध्यम से सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु गठनकर्ता द्वारा ट्रस्ट की परिसम्पत्ति के रूप में रूपया 30,000/– (तीस हजार) एकत्रित किया है।

ट्रस्ट की नियमावली निम्नवत् है :–

1.	ट्रस्ट का नाम	:	ओउम सरला बाबू एजूकेशनल ट्रस्ट
2.	ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय	:	सरला सदन, गली नं0 2, संजय कालोनी, के0एल0 जैन इण्टर कॉलेज, के सामने, सासनी जनपद–हाथरस (उ0प्र0)।
3.	ट्रस्ट का पत्राचार कार्यालय	:	एच.–30, एल्फा–2, ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)।

4. **ट्रस्ट के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :–**

1. शिक्षा के विकास तथा आवासीय परिसर हेतु प्राईमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पी0जी0 कॉलेज तथा विश्वविद्यालय की स्थापना करना। तथा निःशुल्क दूरस्थ शिक्षा, तकनीकी, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना एवं उनका विधिवत संचालन कर युवक युवतियों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना, बिना किसी लाभ एवं भेदभाव के सभी समुदायों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कराना।

2. शिक्षा के प्रचार–प्रसार एवं विभिन्न प्रकार के तकनीकि पर आधारित शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु शिक्षण संस्थाओं का प्रबन्धन करना एवं सहयोग प्रदान करना।

3. आवश्यकतानुसार प्रत्येक स्तर की शिक्षण संस्थाऐं, स्कूल कॉलेज, आदि संचालित करना एवं उनके प्रबन्धतंत्र को अपने हाथ में लेकर उचित प्रबन्धन करना।

4. छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अच्छे शिक्षक तैयार करने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं उनका उचित प्रबन्धन करना।

6. प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित करना।

स्टाम्प विक्रय की तिथि 17-5-07

स्टाम्प का क्रय का प्रयोजन ट्रस्ट

स्टाम्प लेने वाले का नाम व पूरा पता: ओडम स्कूल बाबू एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा सचिव संजय आनन्द कुमार सिंह कालोनी सासनी जि० हाथरस

स्टाम्प का मूल्य: 1000/-

ट्रस्ट 30000/-

फीस रजि० 600 | फी० मु० 20 | योग 620 | शब्द लगभग 700

मुकेश कुमार वार्ष्णेय

लाइसेंस नं०– 93

लाइसेंस की अवधि–31-3-2008

तहसील–सासनी

श्री/श्रीमती अरुण कुमार सिंह

पुत्र/पत्नी श्री बाबू सिंह

पेशा ——— निवासी H-30 अल्फा द्वितीय ग्रेटर नोयडा गौतम बुद्ध नगर

~~तहसील सासनी (महामायानगर)~~ ने यह लेखपत्र कार्यालय उपनिबन्धक सासनी (महामायानगर) में आज दिनांक 18-5-07 समय 4/3 व बजे दिन के प्रस्तुत किया।

Arun Singh

उप निबन्धक

सासनी

इस लेख-पत्र के निष्पादन को सुन व समझकर ~~व उसमें लिखे जर बदले अंकन जिसमें से अंकन पूर्व/नकद मेरे समक्ष बाकी~~ उक्त श्री/श्रीमती अरुण कुमार सिंह पु० बाबू सिंह नि० H-30 अल्फा द्वितीय ग्रेटर नोयडा ~~ने स्वीकार किया।~~ गौतम बुद्ध नगर व चन्द्रवीर सिंह पु० होती सिंह नि० ज्योति कालोनी लिंकरोड सासनी संजय कुमार सिंह पु० बाबू सिंह नि० संजय कालोनी सासनी व श्रीमती सीमा सिंह प० अरुण कुमार सिंह नि० H30 अल्फा द्वितीय ग्रेटर नोयडा ऊषा कुमारी प० संजय कुमार सिंह नि० संजय कालोनी सासनी व श्रीमती गिरजेश कुमारी प० ललित कुमार सिंह नि० टिकारी सासनी ने स्वीकार किया।

उप निबन्धक सासनी, जिला महामायानगर, उत्तर प्रदेश, सत्यमेव जयते

जिनकी पहिचान श्री रणवीर सिंह पुत्र लट सासनी

पुत्र श्री ——— नि० ———

व श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री अर्जुन कुमार

निवासी कौमरी ने की।

उप–निबन्धक

सासनी

Arun Singh

चन्द्रवीर सिंह

संजय कुमार सिंह

Seema Singh

Kumar

Girijesh.

ऊषा कुमारी

साक्षी अब अंगूठा लगाने के अंगुष्ठ चिन्ह विधिवत लिये गये।

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

R$ 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रूपये FIVE HUNDRED RUPEES

15 MAY 2007

(2)

7. योग प्राकृतिक तथा भारतीय पुरातन व नवीन चिकित्सा पद्धति के माध्यम से विभिन्न संक्रामक व असाध्य रोगों से नागरिकों को मुक्त कराने का प्रयास करना तथा शारीरिक शिक्षा केन्द्रों योग साधना केन्द्रों व निशुल्क चिकित्सा/औषधालय की स्थापना करना।

8. शहरी विकास एवं ग्रामीण हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम तथा बोर्ड आदि के सहयोग से सम्बन्धित विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ जैसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था व पानी की समस्या हेतु हैण्डपम्प, टंकी लगवाना क्षेत्र को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क खड़ंजा तथा मलिन बस्तियों का सुधार, सफाई व शौचालयों, सामुदायिक केन्द्रों आश्रय स्थल की स्थापना करना। निर्माण करना तथा लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना।

9. स्कूली, बच्चों, छात्रों एवं समाज के विभिन्न वर्गों को प्रेरणा दायक प्रसंगों से अवगत कराने एवं उनके नैतिक, सामाजिक व मानसिक स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से बैठकों, भाषण मालाओं, वाद–विवाद प्रतियोगिताओं, सेमीनारों, सभाओं, अन्य प्रतियोगिताओं, अध्ययन एवं शोध कार्यों, खेलकूद, दर्शनीय एवं पर्यटन स्थलों के भ्रमण कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, आडियो–वीडियो–सिनेमा प्रदर्शन कार्यक्रमों आदि का आयोजन करना।

10. जन सामान्य के ज्ञान एवं बौद्धिक स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से लाइब्रेरी, म्यूजियम व रीडिंग रूम आदि की स्थापना करना एवं उनमें जनोपयोगी पठन–पाठन व अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।

11. प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियाँ, परितोषक एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें आदि उपलब्ध कराना एवं उनको विकास के समुचित साधन उपलब्ध कराना।

12. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार दान–अनुदान, सदस्यता शुल्क आदि ट्रस्ट के सदस्यों एवं अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं से प्राप्त करना एवं विभिन्न कम्पनियों, फर्मों, सोसाइटियों, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से निर्धारित शर्तों पर ट्रस्ट के पक्ष में ऋण व पूँजी निवेश प्राप्त करना एवं ट्रस्ट की ओर से आवश्यक होने पर उक्त संस्थाओं में पूँजी निवेश करना।

13. समय–समय पर प्राकृतिक एवं दैवीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सामिग्री जैसे–भोजन, कपड़े दवाएँ, अस्थायी एवं स्थाई भवन आदि उपलब्ध कराना।

14. विकलाँगों, अंग–भंग व शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को चिकित्सा एवं अन्य प्रकार की वाँछित सहायता उपलब्ध कराना।

15. गरीब वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यक्रम चलाना एवं उनकी पुत्रियों की शादियों में आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

491

स्टाम्प विक्रय की तिथि 17.5.07
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ओउम सरला बाबू एजुकेशनल ट्रस्ट
स्टाम्प की धनराशि 500/-

M.
मुकेश कुमार वार्ष्णेय
लाइसेंस नं0- 93
लाइसेंस की अवधि-31-3-2008
तहसील-सासनी

उप-रजिस्ट्रार, सासनी जिला हाथरस
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

15 MAY 2007

Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

(3)

16. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था कराना एवं अनुत्पादक भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु विकास परियोजनाएँ चलाना।

17. धर्मार्थ अस्पतालों, नर्सिंग होम, चिकित्सा सेवा केन्द्र, वृद्धावस्था–आवासगृहों आदि की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

18. छात्रावासों एवं बोर्डिंग हाउसों की स्थापना करना व नौजवानों के शारीरिक विकास हेतु खेल के मैदानों का निर्माण कराना तथा उन्हें खेल–कूद, व्यायाम हेतु आवश्यक उपकरण व सामग्री उपलब्ध कराना।

19. जन सामान्य की धार्मिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों को उचित दिशा में बढ़ावा देना एवं आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।

20. लघु उद्योगों एवं हस्त शिल्प को विकसित करना।

21. ग्रामोदय, सर्वोदय, धर्मार्थ पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक सामान्य ज्ञान, साहित्यिक, महिला समस्याओं पर आधारित पुस्तक, खेलकूद एवं कानून से सम्बन्धित पुस्तकों का प्रकाशन करना एवं प्रसार करना।

22. समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु उ0प्र0 तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना जिसमें, खादी ग्रामोद्योग का उत्थान उत्पादन तथा बिक्री करना इसके तहत होने वाले मार्जिन को संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबिल कार्यो पर खर्च करना।

23. ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु कपार्ट व मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिला उद्योग केन्द्र, समाज कल्याण विभाग, वित्त निगम, राष्ट्रीयकृत बैंकों, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी ग्रामोद्योग आयोग से वित्तीय सहायता/अनुदान/ऋण से क्षेत्र एवं मानव का समुचित एवं सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करना व ग्रामोद्योग कलस्टर की स्थापना करना व पर्यावरण रक्षा हेतु वृक्षा रोपण करना।

24. समाज के अक्षम व्यक्तियों/परिवारों को समय–समय पर आवश्यकतानुसार आवास, भोजन सामिग्री एवं वस्त्र इत्यादि निःशुल्क अथवा नोमीनल मूल्य पर उपलब्ध कराना।

25. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भूमि, भवन, स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं हेतु सभी प्रकार की चल–अचल सम्पत्तियों को क्रय करना, विक्रय करना, अधिग्रहीत करना, बन्धक करना अथवा किसी विधि मान्य प्रकार से उस पर कब्जा प्राप्त करना।

26. सामाजिक/सांस्कृतिक उत्सवों एवं राष्ट्रीय पर्वो व महापुरूषों की जयन्ती आदि कार्यक्रमों को आयोजित करना एवं उनके आयोजन में सहयोग प्रदान करना। यदि ट्रस्ट अथवा उसके ट्रस्टीगण द्वारा उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी अन्य ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा परियोजना को अंशदान या आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तो इस कार्य को भी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया कार्य ही माना जायेगा।

4592

स्टाम्प विक्रय की तिथि 17-5-07

स्टाम्प क्रय करने वाले का नाम

स्टाम्प लेने का नाम व पूरा पता ओउम सरलाबाबू एजुकेशनल ट्रस्ट

स्टाम्प की धनराशि 500

मुकेश कुमार वार्ष्णेय

लाइसेंस नं0– 93

लाइसेंस की अवधि–31-3-2008

तहसील–सासनी

रजिस्ट्रार, सासनी

जिला हाथरस

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

जिला कोषागार, हाथरस

– 8 MAY 2007

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (4) T 008585

27. ट्रस्ट के सुचारू प्रबन्धन एवं कार्य संचालन हेतु देश के किसी भी भाग में क्षेत्रीय कार्यालय/विश्राम गृहों आदि की स्थापना करना।

ट्रस्टीगण :–

(क) निम्नांकित व्यक्ति ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टीगण होंगे :–

1. सर्व श्री अरूण कुमार सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह आयु 38 वर्ष निवासी एच–30, अल्फा–द्वितीय, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)।

2. श्री चन्द्रवीर सिंह पुत्र श्री होती सिंह आयु 52 वर्ष निवासी ज्योति कालोनी, सिकन्दराराऊ जिला–हाथरस (उ0प्र0)।

3. श्री संजय कुमार सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह आयु 36 वर्ष निवासी संजय कालोनी, सासनी जिला–हाथरस (उ0प्र0)।

4. श्रीमती सीमा सिंह पत्नी श्री अरूण कुमार सिंह आयु 35 वर्ष निवासी एच–30, अल्फा–द्वितीय, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)।

5. श्रीमती ऊषा कुमारी पत्नी श्री संजय कुमार सिंह आयु 32 वर्ष निवासी संजय कालोनी, सासनी जिला– हाथरस (उ0प्र0)।

6. श्रीमती गिरिजेश कुमारी पत्नी श्री ललित कुमार सिंह आयु 32 वर्ष निवासी गॉव टिकारी पो0 टिकारी तह0 सासनी जिला–हाथरस (उ0प्र0)।

(ख) श्री अरूण कुमार सिंह ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे व श्री संजय कुमार सिंह ट्रस्ट के ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे तथा ये दोनों व्यक्ति अपने–अपने पदों पर आजीवन बने रहेंगे। जब तक कि इनमें से कोई एक स्वेच्छा से अपना पद त्याग नहीं करता है यदि आकस्मिक रूप से अथवा स्वेच्छा से पद त्याग करने पर मैनेजिंग ट्रस्टी तथा ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी का पद रिक्त होता है तो शेष ट्रस्टीगण अपने में से मैनेजिंग ट्रस्टी/ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी कोआप्ट कर लेंगे।

(ग) आजीवन ट्रस्टी का पद रिक्त होने की दशा में उक्त ट्रस्टी द्वारा नामित अथवा ज्येष्ठतम पुत्र/पुत्री स्वतः ट्रस्टी कोआप्ट समझे जायेंगे तथा अपने पद पर आजीवन बने रहेंगे।

(घ) अन्य ट्रस्टीगण में से दो–दो की संख्या में प्रति 3 वर्ष बाद रिटायर होते रहेंगे प्रथम में ट्रस्टी इस ट्रस्ट के गठन की तिथि से तीन वर्ष बाद रिटायर होंगे। रिटायर हुए ट्रस्टीगण पुनः कोआप्ट किये जाने के लिए अर्ह होंगे।

(ङ) मैनेजिंग ट्रस्टी एवं ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी अपनी इच्छा से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की राह में सहायक हो सके ट्रस्ट का ट्रस्टी कोआप्ट कर सकेंगे।

(च) ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टीगण भी अधिकतम संख्या आठ से अधिक नहीं होगी।

Arun Singh चन्द्रवीर संजय कुमार सिंह Seema Singh ऊषा कुमारी Girijesh

स्टाम्प विक्रय की तिथि 17.5.07

493

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ओउम सरला बानु राजकुमारी शान्ति ट्रस्ट

स्टाम्प की धनराशि 100

सुरेश कुमार [illegible]
[illegible] नं०-
लाइसेंस की अवधि-31-3-2008
तहसील-सासनी

सासनी जिला
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

8 MAY 2007

(राम शंकर)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (5) T 008586

5. प्रबन्धन :–

(अ) ट्रस्ट के प्रबन्धन एवं नियंत्रण के पूर्ण अधिकार इसके ट्रस्टीगण में निहित होंगे। ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की ओर से चल व अचल सम्पत्ति क्रय व विक्रय करने, ट्रस्ट के स्वामित्व की सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त करने एवं कब्जा प्रदान करने, शिक्षण संस्थाओं के लिए व ट्रस्ट के लिए उपयोगी भवनों का निर्माण कराने, ट्रस्ट के हक में फण्ड, चल व अचल सम्पत्ति एवं पूँजी निवेश की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करने का पूर्ण अधिकार होगा।

ट्रस्टीगण को यह भी वैधानिक अधिकार होगा कि वे समय–समय पर ट्रस्ट के सुचारू प्रबन्धन एवं प्रशासन हेतु आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के नियमों व उपनियमों में परिवर्तन अथवा संशोधन करें अथवा नये नियमों/उपनियमों का निर्माण करें। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे नियम व उपनियम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(15), 11 से 13 एवं 80–जी के प्रावधानों के विपरीत न हों।

(ब) ट्रस्ट के सुचारू प्रबन्धन, आय–व्यय पर विचार करने एवं अन्य सभी प्रकार के मामलों के निस्तारण हेतु ट्रस्टीगण की अधिक से अधिक बैठकें आयोजित की जायेगी परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक वर्ष में कम से कम तीन बैठकें अवश्य आयोजित की जायेगी।

(स) ट्रस्ट की बैठकों का कोरम कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति से पूर्ण होगा।

(द) ट्रस्टीगण की सभी बैठकों की अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थिति में ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा की जायेगी। मैनेजिंग ट्रस्टी व ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी दोनों की अनुपस्थिति की दशा में किसी अन्य ट्रस्टी द्वारा अध्यक्षता की जायेगी। बैठकों में सभी निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। तथा मतों की बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जायेगा।

(य) बैठकों की समस्त कार्यवाही इसके लिए निर्धारित कार्यवाही पुस्तिका में अंकित की जायेगी।

(र) ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टीगण के अतिरिक्त अन्य ट्रस्टीगण में से जो ट्रस्टी तीन लगातार बैठकों में बिना कोई उचित कारण बताये तथा बिना पूर्व सूचना दिये अनुपस्थित रहेंगे उनकी ट्रस्टी के रूप में सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी। परन्तु अन्य ट्रस्टीगण किसी उचित एवं विधि मान्य कारण के आधार पर ऐसे ट्रस्टी को उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त कर सकते हैं।

(ल) ट्रस्ट के प्रबन्धन एवं प्रशासनिक मामलों पर ट्रस्टीगण में मत विभिन्नता होने की स्थिति में बहुमत का निर्णय मान्य होगा तथा यह सभी ट्रस्टीगण के लिए अनिवार्यतः स्वीकार्य होगा।

6. ट्रस्टीगणों के अधिकार :–

1. ट्रस्ट के फण्ड का समुचित प्रबन्धन करना तथा इससे होने वाली आय, लाभ एवं ब्याज को प्राप्त करना एवं उस पर होने वाले व्यय का अन्य देनदारियों का भुगतान करना।

2. ट्रस्टीगण उन सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत होंगे जो उन्हे विशेष रूप से प्रदान किये गये हों तथा जो ट्रस्ट के सुचारू संचालन में उपयोगी एवं हित साधक हों।

Arun Singh — अरुण सिंह ... ऊषा कुमारी Girish

494

17.5.07

ओमप्रकाश सरला बाबू

100

मुकेश कुमार वार्ष्णेय
लाइसेंस नं0- 63
लाइसेंस की अवधि-31-3-2008
तहसील-सासनी

उप-निबन्धक, सासनी जिला
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

-8 MAY 2007

(राम शंकर) रोकड़िया जिला कोषागार, हाथरस

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 008587

(6)

3. ट्रस्ट की ओर से बैंक एकाउण्ट खोलने एवं संचालित करने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी में से कोई एक ट्रस्टीगण द्वारा बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, अधिकृत होगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी शिक्षण संस्थान अथवा अन्य संस्था का बैंक एकाउण्ट ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी, ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा उस संस्था के प्रबन्धक में से किसी एक के नाम से, ट्रस्टीगण द्वारा बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, खोला एवं संचालित किया जायेगा।

4. ट्रस्ट द्वारा अथवा ट्रस्ट के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत वादों की पैरवी, ट्रस्ट की सम्पत्ति के रख–रखाव एवं स्वामित्व की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ट्रस्टीगण का ही होगा इस कार्य हेतु ट्रस्टीगण द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी, ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा अन्य ट्रस्टीगण में से किसी एक या एक से अधिक को अधिकृत किया जायेगा।

5. ट्रस्ट के ट्रस्टीगण इस ट्रस्ट डीड द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों व उत्तरदायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत प्राविधानित उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु भी प्रतिबन्धित रहेंगे।

6. ट्रस्टीगण को, अपने विवेक से लिये गये सामूहिक निर्णय द्वारा ट्रस्ट की किसी भी अचल सम्पत्ति या सम्पत्तियों को जो उनके स्वत्वाधिकार में हैं, को विक्रीत करने एवं आवश्यक होने पर ट्रस्ट के पक्ष में किसी चल व अचल सम्पत्ति को क्रय करने का पूर्ण अधिकार होगा। प्रतिबन्ध यह है कि ट्रस्ट के कार्य संचालन की प्रक्रिया के अन्तर्गत किये गये क्रय–विक्रय से यदि ट्रस्ट को कोई हानि हो जाती है तो उसको ट्रस्ट द्वारा ही वहन किया जायेगा। साथ ही इस प्रकार किये गये प्रत्येक विक्रय से प्राप्त धनराशि को ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा किया जायेगा तथा क्रय किये जाने के लिए भुगतान हेतु वॉछित धनराशि को ट्रस्ट के बैंक खाते से ही आहरित किया जायेगा।

7. ट्रस्टीगण किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी भारतीय अथवा विदेशी व्यक्ति या संस्था से स्वेच्छापूर्वक दिया गया दान, अंशदान, उपहार, मासिक/वार्षिक चन्दा, डोनेशन आदि प्राप्त कर सकेंगे।

8. ट्रस्ट के समस्त लेखे एवं आय–व्यय का विवरण निर्धारित लेखा–अभिलेखों में अंकित किया जायेगा। ट्रस्टीगण द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च तक की समस्त प्राप्तियों एवं भुगतान लेखे, आय–व्यय तथा बैलेन्स शीट तैयार कराकर उसका किसी सुयोग्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से ऑडिट कराया जायेगा।

9. ट्रस्टीगण द्वारा समय–समय ट्रस्ट के कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों तथा लेखा लिपिक कार्यालय सहायक व अन्य कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति की जायेगी तथा उनके वेतन एवं भत्ते निर्धारित किये जायेंगे। ऐसे कर्मचारियों का देय वेतन एवं भत्ते ट्रस्ट के फण्ड से ही भुगतान किये जायेंगे।

Anu Singh ... Girijesh

495

17.5.07

ओउमसरलाबाबू एजुकेशनल ट्रस्ट

100

M.(Iy)

[illegible]

[illegible] -31-3-2008

उप-निबन्धक, सासनी, जिला हाथरस

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 008588

(7)

10. ट्रस्टीगण समय–समय पर अपने बहुमत से लिये गये निर्णयानुसार ट्रस्ट की सम्पत्ति या उसके अंश को बन्ध करके अथवा बॉण्ड, डिबेन्चर, डिपाजिट, रिसीट, प्रोमिजरी नोट अथवा प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित जैसा उचित समझे के द्वारा ट्रस्ट के लिए ऋण प्राप्त कर सकेंगे अथवा ऋण दे सकेंगे।

11. ट्रस्ट के सभी फण्ड आयकर अधिनियम की धारा 13 के प्राविधानों के अन्तर्गत ही प्रयुक्त किये जायेंगे।

यदि किन्हीं परिस्थितियों में ट्रस्ट को भंग अथवा समाप्त किया जाता है तो उसकी समस्त परिसम्पत्तियों ट्रस्टीगण द्वारा लिये गये निर्णयानुसार या तो समान उद्देश्य वाले किसी अन्य ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेगी अथवा ट्रस्टीगण में बाँट दी जायेंगें।

अतएव हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता ट्रस्टीगण ने यह ट्रस्ट डीड आज दिनांक 18-5-07 2007 को तहरीर कर दी है कि सनद रहे तथा वक्त जरूरत काम आवे।

साक्षियों के हस्ताक्षर :–

1. श्यामवीर सिंह एड० S.D.M. Court Sasni

2. गजेन्द्र कुमार s/o श्री धीरेन्द्र कुमार निवासी ग० (नारेन्द्र)

Kumar

फोटो प्रमाणित करती एवं मसौदा तैयार कर्ता

आवेदन लेखक का नाम विनोद कुमार

अनुज्ञप्ति सं०.....16........दिनांक..........

कार्य स्थान हाथरस जिला हाथरस

Kishor

अभिलेख लेखक के हस्ताक्षर......

हस्ताक्षर ट्रस्टीगण :–

1. Arun Singh
2. चन्द्रवीर सिंह
3. ओमप्रकाश सिंह
4. Seemasingh
5.
6. ऊषा कुमारी

Girijesh.

496

17.5.07

ओउम सरला बाबू एजुकेशनल ट्रस्ट

100

M. [signature]

[illegible] कुमार [illegible]

[illegible] नं0- [illegible]

लाइसेंस [illegible] अवधि-31-3-2008

[illegible]

आज दिनांक 18.5.07 को इलेक्ट्रानिक प्रति पुस्तक संख्या IV खण्ड/जिल्द संख्या 01 के पृष्ठ 251-264 नम्बर 02 रजिस्ट्रीकृत किया गया।

[signature]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

सासनी

उप-निबन्धक, सासनी ... उत्तर प्रदेश

IV 02/11

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 386975

शुद्धि प्रलेख§ तितम्मा§

विदित हो कि आोउम सरला बाबू एजूकेशनल ट्रस्ट ,सरला सदन, गली नं0-2 ,के0एल0जैन0 इन्टर कालेज के सामने,सासनी जनपद- हाथरस §उ0प्र0§ के हम ट्रस्टीगण अरुण कुमार सिंह पुत्र श्री बाबूसिंह आयु 38वर्ष निवासी-एच0-30 ,अल्फा द्वितीय ग्रेटर नोएडा,जिला-गौतमबुद्ध नगर §उ0प्र0§,चन्द्रवीरसिंह पुत्र श्री होतीसिंह आयु 52 वर्ष नि0ज्योति कालोनी, सिकन्द्राराऊ जिला-हाथरस§उ0प्र0§,संजय कुमार सिंह पुत्र श्री बाबूसिंह आयु 36 वर्ष नि0संजय कालोनी,सासनी जिला-हाथरस §उ0प्र0§,सीमासिंह पत्नी श्री अरुण कुमार सिंह आयु 35 वर्ष निवासी- एच0-30,अल्फा द्वितीय ग्रेटर नोएडा ,जिला-गौतमबुद्धनगर§उ0प्र0§ ,ऊषा कुमारी पत्नी श्री संजय कुमार सिंह आयु 32 वर्ष नि0संजय कालोनी,सासनी जिला-हाथरस§उ0प्र0§ व गिरिजेश कुमारी पत्नी श्री ललित कुमार सिंह आयु 32 वर्ष नि0ग्राम- टिकारी पोस्ट- टिकारी तहसील- सासनी जिला-हाथरस§ उ0प्र0§ने उपरोक्त आोउम् सरला बाबू एजूकेशनल ट्रस्ट -डीड का रजिस्ट्रेशन कराया था जिसकी पु0 सं04 खण्ड सं0-1 के पृष्ठ सं0 251/264 पर अंकित है। जिसकी दस्तावेज सं0-02 है। तथा जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 18-5-2007 को हुयी है।

इस ट्रस्ट -डीड में सदवन भूल से पृष्ठ सं0-3 के बिन्दु सं0-19 में धार्मिक एवं आध्यात्मिक शब्द गलती से जुड़ गये हैं तथा इसी बिन्दु में आध्यात्मिक शब्द दो जगह आया है यानि बिन्दु 19 में धार्मिक एवं आध्यात्मिक शब्द लिखे हैं। वह गलत लिख गये हैं। इसलिये धार्मिक एवं

-2-

Arun Singh   चन्द्रवीरसिंह   संजय कुमार सिंह   Seema Singh   ऊषा कुमारी   Girijesh

क्र० 736

स्टाम्प दि० 18-1-2011
स्टाम्प क्रेता का ....
स्टाम्प क्रेता ... पूरा पता [illegible]
स्टाम्प की ... 100

[illegible]
आबेली

[illegible] वार्ष्णेय
[illegible] नं0- 93
लाइसेंस की अवधि-31-03-201[illegible]
तहसील सासनी

[illegible]

फीस रजि0 फी0 मु0 योग शब्द लगभग
100 - 20 = 120 - 80

श्री/श्रीमती [illegible]
पुत्र/पत्नी श्री
पेशा निवासी [illegible]
तहसील सासनी (महामायानगर) में यह लेखपत्र कार्यालय उपनिबन्धक सासनी (महामायानगर) में आज दिनांक 2/1/11 समय 3/[illegible] बजे दिन को प्रस्तुत किया।

Anu Singh

उप निबन्धक
सासनी 2/1/11

इस लेख-पत्र के निष्पादन को सुन व समझकर व उसमें लिखे जर बदले अंकन [illegible] से अंकन रु0 [illegible] पूर्व / नकद मेरे समक्ष पाकर उक्त श्री / श्रीमती [illegible]

[illegible]

P.T.O.

2/1/11

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये TEN RUPEES

11 JAN 2011

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ﴾2﴿ 09AB 119308

आध्यात्मिक शब्दों को बिन्दु 19 से बिलकुल हटाया जाता हैं यानि धार्मिक एवं आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग बिन्दु 19 में अब कहीं भी नहीं है। बिन्दु 19 को इस प्रकार पढ़ा जाय एवं समझा जाय -जन सामान्य की गतिविधियों को उचित दिशा में बढ़ावा देना एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। इस तितम्मा ﴾शुद्धि प्रलेख﴿ के लिखने से ट्रस्ट-डीड की मालियत आदि किसी पर भी कोई अन्तर व असर नहीं पड़ता है। अतः हम सभी उपरोक्त ट्रस्टीगण ने अपनी पूर्ण सहमति से यह तितम्मा﴾शुद्धि प्रलेख﴿ लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। इति-

फोटो प्रमाणितकर्ता व मसविदा तैयारकर्ता:- मुकेश कुमार गुप्ता

"कातिब" तहसील- सासनी ।

मुकेश कुमार गुप्ता
कातिब
सासनी (हाथरस)
लाo नंo-64/06
फीस रु०...30/-......

तहरीर दिनांक- 21-01-2011.

ऊषा कुमारी

18-1-2011

737

आज दिनांक 21-1-11 को इलैक्ट्रॉनिक खण्ड / पुस्तक संख्या IV के पृष्ठ 77/80 संख्या 02 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।
नम्बर 02

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
सासनी

[illegible] मं0- 93
लाइसेंस की अवधि-31-03-201[illegible]
तहसील सासनी

Arun Gupta

चन्द्रपाल सिंह

Seema Singh

ऊषा कुमारी

Girish

(R.T.)

साक्षी भद्र प्रतीत होते हैं अंगुष्ठ चिन्ह विधिवत लिये गये।

21-1-11

उप-निबन्धक
सासनी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

-7 AUG 2018

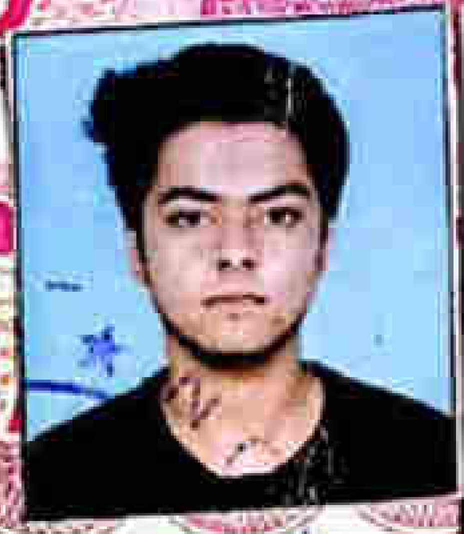

ED 410347

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

NOTARIAL

NOTARIAL

KAMLESH KISHORE
NOTARY (Govt. of India)
Distt. M.M. Nagar (U.P.)

विदित हो कि ओउम सरला बाबू एजूकेशनल ट्रस्ट, सरला सदन गली नं0-2, के0एल0जैन0इण्टर कालेज के सामने, सासनी जनपद- हाथरस । इस ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन दिनांक 10-5-2007 को पु0 सं0- 4 खण्ड सं0-01 के पृ0 सं0- 251/264 पर अंकित है जिसकी दस्तावेज सं0- 2 है । उक्त ट्रस्ट डीड के पृष्ठ सं0-4 के कॉलम -6 के खण्ड ख में श्री अरूण कुमार सिंह ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे व श्री संजय कुमार सिंह ट्रस्ट के ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे तथा ये दोनों व्यक्ति अपने-अपने पदों पर आजीवन बने रहेंगे जब तक कि इनमें से कोई एक स्वेच्छा से अपना पद त्याग नहीं करता है, यदि आकस्मिक रूप से अथवा स्वेच्छा से पद त्याग करने पर मैनेजिंग ट्रस्टी तथा ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी का पद रिक्त होता है तो शेष ट्रस्टीगण अपने में से मैनेजिंग ट्रस्टी/ज्वॉइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी कोआप्ट कर लेंगे। तथा कॉलम 6 के खण्ड ग में आजीवन ट्रस्टी का पद रिक्त होने की दशा में उक्त ट्रस्टी द्वारा नामित अथवा

---2

Arun Singh Satyam Singh Seema Singh Divansh ऊषा कुमारी चन्द्रवीर सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

26 AUG 2018

रु 20

हाथरस

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH §2§ 36AA 796034

ज्येष्ठम पुत्र / पुत्री स्वतः ट्रस्टी कोआप्ट समझे जायेंगे । तथा अपने पद पर आजीवन बने रहेंगे ।

अब उपरोक्त ट्रस्ट डीड के पृ0 4 के कॉलम-6 के खण्ड- ख में अंकित श्री संजय कुमार सिंह पुत्र श्री बाबूसिंह "ओउम सरला बाबू एजूकेशनल ट्रस्ट के ज्वॉइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा स्वेच्छा से दिनांक- 22-8-2018 को त्याग पत्र देने के साथ-साथ उक्त पद पर श्री सत्यम कुमार सिंह पुत्र श्री अरुण कुमार सिंह निवासी एच0 30 एल्फा सैकण्ड, ग्रेटर नोएडा को स्वेच्छा से नामित किया है । जिसमें अन्य सभी ट्रस्टीगण की पूर्ण स्वीकृति एवं सहमति है।

-8

NOTARY GOVT OF INDIA Kamlesh Kishore Advocate M.M.Nagar

Arun Singh, Satyam Singh, Seema Singh, [signature], आशा कुमारी, चन्द्रेश सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु 20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

§3§

36AA 796035

जिसका सभी ट्रस्टीगणों ने अपने-अपने हस्ताक्षर कर अनुमोदन किया है ।

अतः यह नाम परिवर्तन प्रलेख ट्रस्ट की नियमावली के अनुसार किया गया है । ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।-

तहरीर दिनांक- 25-8-2018 दिन- शनिवार ।

ATTESTED

KMALESH KISHORE
NOTARY (Govt. of India)
Distt M.M. Nagar (U.P.)

Scanned by CamScanner

IV 15/2021

E-STAMP NO.- UP14224204
मुकेश कुमार वार्ष्णेय

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP63985705974046T
Certificate Issued Date	:	09-Apr-2021 01:44 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14224204/ SASNI/ UP-HTR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14224204155140686791 60T
Purchased by	:	OM SARLA BABU EDUCATIONAL TRUST
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	OM SARLA BABU EDUCATIONAL TRUST
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	OM SARLA BABU EDUCATIONAL TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

9/4/2021

ESTAMP
LOCKED
Sub Registrar
Sasni, Hathras

Please write or type below this line

Soma Singh

उषा कुमारी

RS 0001608340

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

शुद्धि प्रलेख ((तितम्मा))

स्टाम्प शुल्क – 750

विदित हो कि ओउम सरला बाबू एजूकेशन ट्रस्ट , सरला सदन , गली नं0 2 , के0 एल0 जैन इण्टर कॉलेज के सामने , सासनी जनपद हाथरस (उत्तर प्रदेश) की ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन दिनाक 18/05/2007 को पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 1 के पृष्ठ 251/264 पर अंकित है | जिसकी दस्तावेज संख्या 02 है | उक्त ट्रस्ट डीड के पृष्ठ संख्या 04 के कॉलम 06 के खण्ड ख मे श्री अरूण कुमार सिंह ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी

Seema Singh

ऊषा कुमारी

Satyam Singh

होंगे व श्री संजय कुमार सिंह ट्रस्ट के ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे तथा ये दोंनो व्यक्ति अपने अपने पदों पर आजीवन बने रहेगें जब तक कि उनमें से कोई एक स्वेच्छा से अपना पद त्याग नही करता है , यदि आक्स्मिक रूप से अथवा स्वेच्छा से पद त्याग करने पर मैनेजिंग ट्रस्टी तथा ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी का पद रिक्त होता है तो शेष ट्रस्टीगण अपने में से ट्रस्टी ज्वॉइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी कोआप्ट कर लेंगे । तथा कॉलम 6 के खण्ड ग में आजीवन ट्रस्टी का पद रिक्त होने की दशा में उक्त ट्रस्टी द्वारा नामित अथवा ज्येष्ठतम पुत्र/पुत्री स्वतः ट्रस्टी कोआप्ट समझे जायेगें । तथा अपने पद पर आजीवनबने रहेंगे ।

अब उपरोक्त ट्रस्ट डीड के पृष्ठ 4 के कॉलम 6 के खण्ड ख में अंकित श्री संजय कुमार सिंह पुत्र बाबू सिंह "ओउम सरला बाबू एजूकेशन ट्रस्ट" के ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा स्वेच्छा से दिनांक 22/08/2018 को त्याग पत्र देने के साथ साथ उक्त पद पर सत्यम कुमार सिंह पुत्र श्री अरूणकुमार सिंह निवासी एच0-30 , अल्फा सैकण्ड ग्रेटर नोएडा , जिला गौतमबुद्धनगर (उत्तर प्रदेश) को स्वेच्छा से नामित किया है ।

इस ट्रस्ट डीड में सहवन के समय कुछ शर्त व शरायतें पृष्ठ संख्या 7 विन्दु 12 छूट गयी थी जो इस प्रकार हैं ।

Arun Singh

चन्द्रावती सिंह

Dhanush

Seema Singh

उषा कुमारी

Satyam Singh

विभाग/शासन के प्रतिबन्धो की बाध्यता

क. विधालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जाय |

ख. विधालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेश द्वारा नामित एक सदस्य होगा |

ग. विधालय मे कम से कम 10 प्रतिशत सथान अनुसूचित जाति , अनुसूचित जन जाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विधालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नही लिया जायेगा |

घ. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विधालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा काउन्सिल फॉर दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेशन एक्जामिनेशन नई दिल्ली सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजेकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों में सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा |

ङ. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगे |

च. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेंगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विधालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे |

छ. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी |

ज. विधालय का रिकार्ड निरर्धारित प्रपत्र /पंजिकाओं में रखा जायेगा | यदि हां हो तो कृपया प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विधालय को विभाग/ शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम क से झ तक स्वीकार हैं |

झ. उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमति के कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नही किया जायेगा |

उपरोक्त शुद्ध प्रलेख का सभी ट्रस्टीगणों ने अपने अपने हस्ताक्षर कर अनुमोदन किया है | जो कि निम्न लिखित हैं -

ट्रस्टीगण अरूण कुमार सिंह (मैनेजिंग ट्रस्टी) पुत्र स्व0 श्री बाबू सिंह निवासी एच0-30 , अल्फा सैकण्ड ग्रेटर नोएडा , जिला गौतमबुद्धनगर { उत्तर प्रदेश } , चन्द्रवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री होती सिंह निवासी ज्योति कॉलौनी सिकन्द्राराऊ जिला हाथरस { उत्तर प्रदेश } देवांश कुमार सिंह पुत्र श्री अरूण कुमार सिंह एच0-30 , अल्फा सैकण्ड ग्रेटर नोएडा , जिला गौतमबुद्धनगर { उत्तर प्रदेश } , सीमा सिंह पत्नी अरूण कुमार सिंह एच0-30 , अल्फा सैकण्ड ग्रेटर नोएडा , जिला गौतमबुद्धनगर { उत्तर प्रदेश } , ऊषा कुमारी पत्नी श्री संजय कुमार सिंह निवासी संजय कॉलौनी , सासनी जिला हाथरस { उत्तर प्रदेश } , सत्यम कुमार सिंह (ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी) पुत्र श्री अरूण कुमार सिंह निवासी एच0-30 , अल्फा सैकण्ड ग्रेटर नोएडा , जिला गौतमबुद्धनगर { उत्तर प्रदेश }

इस तितम्मा {{ शुद्धि पत्र }} के लिखने से ट्रस्ट डीड की मालियत आदि किसी पर भी कोई अन्तर व असर नही पडता है | अत: हम सभी उपरोक्त ट्रस्टीगण ने अपनी पूर्ण सहमति से यह तितम्मा {{ शुद्धि पत्र }} लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवै | इति |

Arun Singh   चन्द्रवीर सिंह   Devansh   Seema Singh

ऊषा कुमारी   Satyam Singh

गवाह नं0 - 1
मुकेश कुमार नंगाइच पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा
निवासी ग्राम असरोई तहसील इगलास जिला अलीगढ
साक्ष्य आधार कार्ड मो0 नं0 9719547635

गवाह नं0 - 2
अनिल कुमार पुत्र श्री हरिवंश कुमार
निवासी देवीनगर रोड हाथरस - जक्शन तहसील व जिला हाथरस
साक्ष्य आधार कार्ड मो0 नं0 8449299091

साक्ष्य एंव गवाहन की स्जिनाख्त पर
फोटो प्रमाणित कर्ता मसौदा तैयार कर्ता :-

मुकेश कुमार गुप्ता कातिब
तहसील सासनी जिला हाथरस।

तहरीर दिनांक 09/04/2021

मुकेश कुमार गुप्ता
कातिब
सासनी (हाथरस)